

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

बहादुर सिंह शर्मा

बनाम

अधिकासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड,

उपाकालि0,

Case No:-279 /2023

शमनगर शिबिर

शमनगर

ORDER SHEET

दिनांक-21/09/2023

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक 03/10/2023 तक उत्तर पत्र व खपत विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

19/9/23 . शिकायत दर्ज होने पर आदेशासी अभियन्ता ने प्रस्तुत प्रमाण पर पुनर्वीक्ष कर मौखिक रूप से निष्कर्ष करने का अनुरोध किया। विपक्षी को 03/10/2023 तक आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था परन्तु प्रमाण पर आज ही पुनर्वीक्ष की गयी। विपक्षी आदेशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकार किया गया कि परिवर्द्धी की अतिरिक्त जमा राशि पर उक्त गैली प्रमाण का प्रमाण नहीं मिलेगा तथा परिवर्द्धी की यह बात भी सही है कि उसे prompt payment rebate का जो लाभ current बिल जमा करने पर मिलना था वह नहीं मिल पाएगा। मंच के मत में परिवर्द्धी की अतिरिक्त जमा राशि, जो विभागत जमा है, वह उक्त वापस मिलनी चाहिए जिससे वह प्रत्येक बिल चक्र में समय पर Current bill जमा कर सके तथा prompt payment rebate का लाभ ले सके। समस्त परिवर्द्धी को भी अतिरिक्त जमानत धनराशि जमा करने के आदेश दिए जाते हैं। उपरिक्त पुनर्वीक्ष के अनुसार विपक्षी परिवर्द्धी की जमा अतिरिक्त राशि लौटाना पुनर्निश्चित कर तथा परिवर्द्धी के अतिरिक्त जमानत धनराशि लेना भी पुनर्निश्चित है। परिवर्द्धी तदनुसार निष्कर्षित, प्रमाण प्रस्तुत एवं प्रमाण प्रस्तुत करें।

सदस्य (अध्यक्ष)

वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)

वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (उपभोक्ता)

वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी